प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.04.2025

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 10.04.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त तैयब पुत्र नईम निवासी ईदगाह के पास अल्वी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष को अल्वी नगर पुलिया थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर पूर्व से धारा 03/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त के एक अन्य साथी फैजान पुत्र मेहंदी हसन निवासी ईदगाह के पास अल्वी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को पूर्व में जेल भेजा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह तमंचा मैंने अपने दोस्त जुबैर पुत्र मकसूद व फैजान पुत्र मेहंदी हसन निवासीगण ईदगाह के पास अल्वी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद से लिया था। हम तीनों ने अस्लाहों के साथ कुछ फोटो भी खिचवाए थे जो हमने सोशल मिडिया पर वायरल भी किये थे तथा हमारे एक साथी फैजान को पुलिस द्वारा कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तैयब पुत्र नईम निवासी ईदगाह के पास अलवी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता-

जुबैर पुत्र मकसूद निवासी ईदगाह के पास अलवी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व 02 अवैध तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद ।

दिनांक 09/10.04.2025 की रात्रि में थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1- आसिफ पुत्र निजामुद्दीन निवासी ईदगाह बस्ती मौ0 नूरगंज थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद 2- वसीम पुत्र शरीफ निवासी पीर मौ0 रावली रोड थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को नवीनपुर पुलिया के पास थाना क्षेत्र मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल व 02 अवैध तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त बरामदगी के आधार पर थाना मुरादनगर पर धारा 317(2)/317(5)/309(5) बीएनएस व 3/25 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोटरसाइकिल हमनें दादरी नोएडा से चोरी की थी जिसे हमने अबतक छिपाकर रखा था । हम लोग राह चलते व्यक्तियों से छिनैती व लूट की घटना कारित करने के उद्देश्य से अपने पास अवैध अस्लाह रखते हैं । आज हम इसी उद्देश्य से निकले थे कि आप ने हमें पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. आसिफ पुत्र निजामुद्दीन निवासी ईदगाह बस्ती मौ0 नूरगंज थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष ।

2- वसीम पुत्र शरीफ निवासी पीर मौ0 रावली रोड थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल व 02 अवैध तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद ।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त वसीम के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में चोरी/गौकशी के 11 अभियोग पंजीकृत हैं तथा जनपद हापुड में गौकशी व गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत हैं । (कुल अभियोग -15) तथा अभियुक्त आसिफ के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर दुष्कर्म का 01 अभियोग पंजीकृत है । अभियुक्तगण वसीम व आसिफ के विरुद्ध उपरोक्त बरामदगी व अवैध असलाह के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उक्त मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना दादरी गौतमबुद्धनगर में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम ।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा पूर्व में हुई साढे छः लाख लूट की घटना में वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्त को पीसीआर पर लाकर अभियुक्त की निशानदेही से घटना से सम्बन्धित 525000/- रुपये , 01 अदद स्कूटी व अन्य प्रपत्र आदि किये बरामद ।

दिनांक 27.03.2025 को वादी द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर एक तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की स्कूटी नं0 DL14ST9724 जिसकी डिग्गी में छः लाख 50 हजार रुपये रखे थे, को स्कूटी सहित छीनकर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल धारा 309(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु

टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा सीसीटीवी का अवलोकन, सर्विलांस एवं मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त दानिश उर्फ सोनू पुत्र रहीश निवासी डी-113 गली नं0-18 पुराना मुस्तफाबाद दिल्ली का नाम प्रकाश में आया। उक्त सम्बन्ध में यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त दानिश उर्फ सोनू उपरोक्त द्वारा दिनांक 26.03.2025 को भी एक लूट की घटना कारित की थी जिसमें उक्त अभियुक्त द्वारा करीब 1 लाख 10 हजार रुपये लूटे थे जिसके सम्बन्ध में थाना भजनपुरा दिल्ली पर धारा 309(4) बीएनएस व 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक 30.03.2025 को थाना भजनपुरा दिल्ली पुलिस द्वारा अभियुक्त दानिश उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया था जिसमें अभियुक्त दानिश उर्फ सोनू द्वारा दो-तीन दिन पहले थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद क्षेत्र में लूट करना कबूल किया था एवं मण्डोली जेल दिल्ली में निरुद्ध कराया गया था। उक्त सम्बन्ध में थाना भजनपुरा दिल्ली द्वारा थाना लोनी बॉर्डर को अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचित किया गया था। विवेचक द्वारा न्यायिक कार्यवाही करते हुए थाना लोनी बॉर्डर के मुकदमें में रिकवरी हेतु अभियुक्त दानिश उर्फ सोनू उपरोक्त की दिनांक 10.04.25 को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड की स्वीकृति प्राप्त की गयी।

आज दिनांक 10.04.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियुक्त दानिश उर्फ सोनू उपरोक्त को पीसीआर पर लाया गया एवं अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त द्वारा बताये रास्ते भोपुरा से सीमापुरी बॉर्डर होते हुये आनन्द विहार के पास, ईडीएम माल कोशाम्बी पहुंचे जहां पर अभियुक्त दानिश उर्फ सोनू उपरोक्त ने माल के बेसमेन्ट की पार्किंग में ले जाकर गाडी रूकवायी और गाडी से उतर कर आगे-आगे चल दिया और ईडीएम माल की बेसमेन्ट पार्किंग में पीछे की ओर ले जाकर पिलर नं0 A-1 के सामने कोने में खडी स्कूटी नं0 DL14ST9714 लाल रंग को दिखाकर बताया कि यही वह स्कूटी है जो मैंने दिनांक 27.03.2025 को नहर थाने से पहले मैट्रो लाइन के नीचे लूटी थी और जिसकी डिग्गी में एक बैग में रूपये थे उस बैग में से मैंने रूपये निकाल कर स्कूटी की डिग्गी में रख दिये और कुछ रूपये उसी बैग में लेकर मैं स्कूटी यहीं छोडकर चला गया था। उस बैग में से रूपये निकाल कर बैग को मैंने रास्ते में फेंक दिया वह जगह मुझे याद नही है और उन रूपयों को मौज मस्ती में खर्च कर दिया है। स्कूटी की डिग्गी में रखे रूपयों को निकाल कर देखा तो कुल 525000/- रूपये बरामद हुये तथा स्कूटी की डिग्गी में वादी के अन्य प्रपत्र बरामद हुए। अभियुक्त की निशांदेही से बरामदा रुपयों व स्कूटी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की वृद्धि की जाती है। आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को पीसीआर की समयावधि के भीतर माननीय न्यायालय पेश किया जायेगा।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 27.03.2025 को मैं कोटक महेन्द्रा बैंक यमुना विहार दिल्ली में अपने काम से गया था तो एक व्यक्ति ने 650000/- रूपये कैश निकाले थे जिसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने उसे रूपयों को स्कूटी की डिग्गी में रखते हुये देख लिया। फिर मैंने अपनी स्कूटी से उसका पीछा किया जब वह गोकुलपुरी मैट्रो स्टेशन से आगे मैट्रो लाइन के नीचे आ रहा था तो मैंने नहर थाने से पहले मौका पाकर अपनी स्कूटी से उसे रोककर पिस्टल दिखाकर उसकी स्कूटी रूपयों सहित लूटकर भाग गया था। मैं उसी पिस्टल के साथ दिल्ली भजनपुरा थाने में पकडा गया था

बरामदगी का विवरण :-

अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 525000/- रुपये, 01 स्कूटी व अन्य प्रपत्र बरामद।

अभियुक्त का विवरण –

1.दानिश उर्फ सोनू पुत्र रहीश निवासी डी-113 गली नं0-18 पुराना मुस्तफाबाद दिल्ली, उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग व थाना भजनपुरा दिल्ली में लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 खोखा कारतूस बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 10.04.2025 को थाना साहिबाबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि एक लडके को गोली लग गयी है। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा जाँच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आ कि 04 लडके जोकि रील बनाने के लिए जा रहे थे, जिसमें अनमोल ने तमंचा ले रखा था और अचानक रोड़ पर झटका लगने के कारण गोली चल गयी जो कि अनमोल के दोस्त ऋषभ को लग गयी। जिससे वह बेहोश हो गया। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अनमोल पुत्र हरेन्द्र चौधरी निवासी 912 हाईएन्ड पैराडाइस राजननगर एक्सटेशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष के विरूद्ध धारा 125(a) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अनमोल पुत्र हरेन्द्र चौधरी उपरोक्त को 01 अवैध तमंचा व 01 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त अनमोल पुत्र हरेन्द्र चौधरी उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मैं हाईएन्ड पैराडाइस राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद में रहता हूँ और आईटीएस में बीसीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। दिनांक 09.04.2025 को मेरे 4 दोस्त 1. ऋषभ चौधरी पुत्र संजय चौधरी निवासी बाल मुकुंद सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष, 2. वंश पुत्र इन्द्र कुमार शर्मा निवासी लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष, 3. शीलू यादव पुत्र राकेश सिंह निवासी बंथला थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष तथा 4. कृष रील बनाने के लिए मुझे लेने मेरे घर आये मैं अपनी सोसायटी के बाहर आकर ऋषभ की कार टोयोटा हाईराइडर से उनके साथ मोहननगर की ओर चला गया। कृष कार को चला रहा था तथा ऋषभ पास वाली सीट पर बैठा था। मैं, वंश तथा शीलू यादव कार की पीछे वाली सीट पर बैठे थे। मैं रील बनाने के लिए अपने साथ एक तमंचा भी लेकर गया था। जब हम मोहननगर की ओर जा रहे थे तभी मैं तमंचे को निकालकर उसे देख ही रहा था कि अचानक से भूलवश रोड़ पर झटका लगने के कारण तमंचे से फायर हो गया। गोली ऋषभ बांये कंधे को छुते हुए कार के बांये शीशे से टकराकर पार हो गयी। जिससे वह मौके पर बेहोश हो गया फिर मैं बहुत घबरा गया। हम सभी लोग मिलकर ऋषभ को लेकर नागर अस्पताल ले जाने लगे तथा मैंने पकड़े जाने के डर से अस्पताल जाते समय रास्ते में तमंचे को हिन्डन नदी के पुल से पहले झाडियों में फेंक दिया था। फिर हमने ऋषभ को नागर अस्पताल में एडमिट कराया जहाँ ऋषभ के पिता तथा अन्य रिश्तेदार भी आ रहे थे तो मैं डर के कारण वहाँ से अपने घर पर चला गया था तथा अपना फोन बंद कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अनमोल पुत्र हरेन्द्र चौधरी निवासी 912 हाईएन्ड पैराडाइस राजननगर एक्सटेशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध तमंचा व 01 खोखा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त अनमोल पुत्र हरेन्द्र चौधरी उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 10.04.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त काके पुत्र सतेन्द्र निवासी पीपल वाली गली जवाहर पार्क शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को हुंडई कट से करन गेट की तरफ सर्विस रोड पर बने टीन टप्पे के पास शालीमार गार्डन से चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त काके पुत्र सतेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त काके पुत्र सतेन्द्र उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा यह मोटरसाइकिल करीब 10 दिन पूर्व ईस्ट दिल्ली मेडिकल सेंटर मानसरोवर पार्क के सामने शहादरा दिल्ली से चोरी की गयी थी। आज अभियुक्त उपरोक्त इस मोटरासाइकिल को बेचने की फिराक में यहां आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

काके पुत्र सतेन्द्र निवासी पीपल वाली गली जवाहर पार्क शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त काके पुत्र सतेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01अभियोग व थाना पुलिस स्टेशन MV THEFT दिल्ली में चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध रूप से संचालित हुक्का बार से 01 अभियुक्त (मैनेजर) गिरफ्तार, कब्जे से 12 हुक्के व हुक्कों में प्रयुक्त अन्य सामग्री बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 09.04.2025 को सोशल मीडिया पर ट्वीट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि M4U राजेन्द्र नगर सै0 5 में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार चलाया जा रहा है। जिसकी जाँच के क्रम में थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा रोज बार राजेन्द्र नगर सै0 5 में पहुँचे तो रोज बार के मैनेजर से बार का लाइसेन्स माँगा गया तो लाइसेन्स नही दिखा सका। जिसके क्रम में थाना साहिबाबाद टीम द्वारा 01 अभियुक्त(मैनेजर) विकास पासवान पुत्र उमाशंकर पासवान निवासी ग्राम टिमरारी थाना शिवाय पट्टी जिला मुजफ्फरपुर बिहार हाल निवासी 954 गीता कॉलोनी थाना गीता कॉलोनी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष को मौके से 12 हुक्के व हुक्कों में प्रयुक्त अन्य सामग्री सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विकास पासवान पुत्र उमाशंकर पासवान उपरोक्त के विरूद्ध 271/280 बीएनएस, 4/5 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम व 59 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त विकास पासवान पुत्र उमाशंकर पासवान उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त हुक्का बार के संचालक हेमन्त कुमार खटाना पुत्र अशोक कुमार खटाना निवासी व0 1/50/32 गली न0 1 बलवीर नगर शाहदरा दिल्ली है व अभियुक्त विकास पासवान पुत्र उमाशंकर पासवान उपरोक्त अवैध रूप से संचालित हुक्का बार के मैनेजर है जो संचालित हुक्का बार का कोई वैध लाइसेन्स नही दिखा सका।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विकास पासवान पुत्र उमाशंकर पासवान निवासी ग्राम टिमरारी थाना शिवाय पट्टी जिला मुजफ्फरपुर बिहार हाल निवासी 954 गीता कॉलोनी थाना गीता कॉलोनी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष ।

वाँछित अभियुक्त का नाम व पता

हेमन्त कुमार खटाना पुत्र अशोक कुमार खटाना निवासी बलवीर नगर शाहदरा दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण:-

- 12 हुक्के व हुक्कों में प्रयुक्त अन्य सामग्री बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त विकास पासवान पुत्र उमाशंकर पासवान उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 10.04.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त अफजल पुत्र इकबाल निवासी लक्ष्मण गार्डन गारिमा गार्डन थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को बेटी बचाओ बेटी पढाओं तिराह से चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त अफजल पुत्र इकबाल उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त अफजल पुत्र इकबाल उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त ने कुछ समय पहले यह मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की थी। अभियुक्त उपरोक्त इधर-उधर घूमकर मोटरसाइकिल की तलाश करता है और मौका मिलने पर चोरी कर लेता है और अच्छे पैसों में बेच देता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अफजल पुत्र इकबाल निवासी लक्ष्मण गार्डन गारिमा गार्डन थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त अफजल पुत्र इकबाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़, इन्दिरापुरम, साहिबाबाद, अंकुर विहार व ई-पुलिस स्टेशन दिल्ली पर लूट, गैंगस्टर एक्ट, चोरी व चोरी का माल बरामद होने से सम्बन्धित कुल 13 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के तीनों जोन के सभी थाना क्षेत्रों में दिनांक 09.04.25 को शाम 06:30 बजे से लेकर 10:00 बजे तक शराब ठेकों के आसपास व सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसे 546 व्यक्तियों को, जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया व उनका मेडिकल कराते हुए 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। इस अभियान में सभी सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गयी।

जोनवार चालान की स्थिति निम्नवत रही –

नगर जोन-259 , ट्रांस हिंडन जोन-150 , तथा ग्रामीण जोन-137 कुल -546 व्यक्तियों के विरुद्ध 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई गयी।